प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

विविध दांडिक प्रकरण (अग्रिम) क्र. 554 /2011

आवेदक: अटल श्रीवास्तव

बनाम

अनावेदक: छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित: आवेदक हेतु अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री आदिल मिनहाज अधिवक्ता, उपस्थित।
राज्य हेतु श्री एस. के. मिश्रा, पैनल अधिवक्ता उपस्थित ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 19 अगस्त 2011 को पारित)

प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति के द्वारा

1. आवेदक, जो स्वयं को राज्य में प्रमुख विपक्षी दल का सदस्य और एक सक्रिय राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ-साथ एक प्रतिष्ठित बिल्डर एवं कॉलोनाइजर होने का दावा करता है, ने भा.द.सं. की धारा 353, 332, 294, 506, 307 और 323/34 के तहत अपराध के लिए बिलासपुर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 330/2011 के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया है।
2. बिलासपुर नगर निगम में अधीक्षक अभियंता के पद पर कार्यरत शिकायतकर्ता ओ.पी. तिवारी ने दिनांक 20-6-2011 को शाम 7:45 बजे प्रथम सूचना

प्रतिवेदन दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे बिलासपुर नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में कार्यालयीन कार्य कर रहे थे, तब दोनों अभियुक्तगण शाम लगभग 7 बजे उनके कार्यालय आए और अपनी फाइल के बारे में पूछताछ करने लगे। जब उन्हें बताया गया कि बिजली की समस्या के कारण वे फाइल नहीं देख सकते और उन्हें कल आना होगा, तो वर्तमान आवेदक क्रोधित हो गया और शिकायतकर्ता को अभद्र भाषा में गली गलौच करने लगा और कहा कि शिकायतकर्ता को तुरंत फाइल पर हस्ताक्षर करना होगा और उसकी टेबल पर पर रखी सभी फ़ाइलें जमीन पर फेंक दीं। आवेदक ने शिकायतकर्ता का कॉलर पकड़ लिया और जब शिकायतकर्ता खड़ा हुआ, तो सह-अभियुक्त ने उसकी कमर पकड़ ली और दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाने लगा और कहने लगा कि वह शिकायतकर्ता को नहीं छोड़ेगा। गर्दन पर दबाव के कारण उसकी सांसें रुकने लगीं और वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उसी समय निगम के अन्य कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा शिकायतकर्ता एवं अभियुक्तों को अलग किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आवेदक की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक एक बिल्डर है और उसका कॉलोनाइज़र लाइसेंस का मामला 2009 से लंबित था तथा शिकायतकर्ता मामले को निपटाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। तथापि, जब आवेदक कार्यालय गया, तो शिकायतकर्ता ने उस पर हमला किया और कुर्सी फेंक दी, जिससे आवेदक को चोटें आईं। मामले की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। आगे यह भी तर्क दिया गया कि पहले उसे बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्वेद संस्थान में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में रेफर किया गया और उसके बाद उसे दिल्ली के उच्चतर चिकित्सा केंद्र में रेफर किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता हमलावर था और आवेदक के शरीर पर लगी चोटें कटी-

फटी थीं, जबकि शिकायतकर्ता के शरीर पर लगी चोटें मामूली थीं। आगे यह भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष के मामले को समग्र रूप से देखने पर, भा.द.सं. की धारा 307 के तहत अपराध नहीं बनता है। भा.द.सं. की धारा 307 के तहत अपराध को छोड़कर, अन्य सभी अपराध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के द्वारा विचारणीय हैं, जिसमें अभिरक्षा मे रखा जाना अनिवार्य नहीं है । आगे यह भी कहा गया कि यद्यपि आवेदक चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहा था तो भी इस अवधि के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अन्वेषण पूरी कर ली है और आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, इस प्रकार अन्वेषण पूरी हो चुकी है। उन्होंने **संजय कुमार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1]**, भरत चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य**[2]**, रविंद्र सक्सेना बनाम राजस्थान राज्य**[3]**, महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन, मोहम्मद एस. हुसैन आदि**[4] **और सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[5] के मामलों में दिए गए निर्णयों पर अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष को पूछताछ के लिए उसे अभिरक्षा मे लिए जाने की आवश्यकता है और चूंकि अभियोग पत्र उस समय दायर किया गया था जब आवेदक फरार था, विचारण न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और अपराध वैसे भी गंभीर होने के कारण, आवेदक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत संरक्षण का हकदार नहीं है।

5. कार्यवाही करने से पहले, यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन पर विचार करते समय न्यायालयों की शक्ति और अधिकार क्षेत्र की

[1] 1994 Supp (1) Supreme Court Cases 502
[2] 2004 (1) M.P.L.J. 490
[3] (2010) 1 Supreme Court Cases 684
[4] AIR 2008 SUPREME COURT 155
[5] (2011) 1 Supreme Court Cases 694

प्रकृति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखेगा।

6. **मोहम्मद साजिद हुसैन, मोहम्मद एस. हुसैन आदि** (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने के लिए सुसंगत कारक निम्नलिखित हैं: **(i)** आवेदक पर लगाए गए आरोप की प्रकृति और गंभीरता। **(ii)** आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि क्या उसे किसी न्यायालय द्वारा पहले किसी संज्ञेय अपराध के लिए कारावास की सजा हुई है: **(iii)** आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार करवाकर उसे अपमानित करना या उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना, इस आरोप का संभावित उद्देश्य, और **(iv)** अग्रिम जमानत दिए जाने पर आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भाग जाने की संभावना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **रवींद्र सक्सेना** (पूर्वोक्त) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अग्रिम जमानत तब तक दी जा सकती है जब तक आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया हो और केवल अभियोग पत्र दाखिल होने के कारण इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भरत चौधरी और अन्य** (पूर्वोक्त) मामले में भी दिया है।

8. **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय पर स्पष्ट और विस्तृत रूप से विचार करने के बाद एवं **गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य** {(1980) 2 एससीसी 565)} के प्रकरण में संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 112 और 113 में इस प्रकार कहा है:-

> "112. अग्रिम जमानत से संबंधित मामलों में निम्नलिखित कारकों और मापदंडों को ध्यान में रखा जा सकता है:

(i) गिरफ्तारी से पहले आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा आरोपी की सटीक भूमिका को ठीक से समझना आवश्यक है;

(ii) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि क्या आरोपी को पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कारावास की सजा भुगतनी पड़ी है;

(iii) आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना;

(iv) अभियुक्त द्वारा इसी प्रकार के या अन्य अपराधों को दोहराने की संभावना;

(v) जहां आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हों;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vi) अग्रिम जमानत देने का प्रभाव, विशेष रूप से बड़े महत्व के मामलों में जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं;

(vii) न्यायालयों को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्रियों का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय को मामले में अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जिन मामलों में अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की सहायता से फंसाया गया है, उन पर न्यायालय को और भी अधिक सावधानी और सतर्कता से विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में अत्यधिक फंसाया जाना सर्वविदित और चिंता का विषय है;

(viii) अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच संतुलन बनाना होगा, अर्थात्, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण अन्वेषण में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए और आरोपी के उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत को रोका जाना चाहिए;

(ix) न्यायालय गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका पर विचार करेगा;

(x) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत देने के मामले में केवल प्रामाणिकता के तत्व पर ही विचार किया जाना चाहिए और यदि अभियोजन की प्रामाणिकता के बारे में कुछ संदेह हो, तो सामान्य परिस्थितियों में, आरोपी जमानत के आदेश का हकदार है।

113. गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए और इसे केवल उन असाधारण मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिए जहां गिरफ्तारी आवश्यक हो, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आरोपी का मूल्यांकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय को उपलब्ध संपूर्ण अभिलेख की सावधानीपूर्वक अन्वेषण करनी चाहिए, विशेष रूप से उन आरोपों की जो सीधे आरोपी पर लगाए गए हैं और ये आरोप अभिलेख में मौजूद अन्य सामग्री और परिस्थितियों द्वारा समर्थित हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि इस प्रकार प्रतिपादित कर दिया गया है, तो यह न्यायालय अब वर्तमान आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर विचार करेगा ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि आरोपों की प्रकृति और उसके पूर्ववृत्त आदि के आधार पर, क्या आवेदक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

10. यह स्वीकार किया जाता है कि आवेदक का कॉलोनाइज़र लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन दिनांक 21-7-2009 से लंबित था, जिसके लिए आवश्यक शुल्क अनुलग्नक-ए/2 के माध्यम से जमा किया गया था। इस प्रकार, आवेदन निगम के समक्ष लगभग दो वर्षों से लंबित था। केस डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि संबंधित अधिकारी आवेदक द्वारा दायर आवेदन पर

कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। वास्तव में, प्रथम सूचना पत्र में शिकायतकर्ता ने कहा है कि आवेदक अपने कॉलोनाइज़र लाइसेंस के नवीनीकरण के संबंध में उससे मिलने आया था, जिसका अर्थ है कि आवेदक के कार्यालय आने का उद्देश्य अपने कॉलोनाइज़र लाइसेंस नवीनीकरण के बारे में पूछताछ करना था, न कि किसी अन्य अवैध उद्देश्य से। प्रथम सूचना पत्र में लगाए गए आरोपों से यह प्रतीत होता है कि आवेदन के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण और जब उसे अगले दिन अधिकारी से मिलने के लिए कहा गया, तो आवेदक क्रोधित हो गया और उसने अधिकारी का कॉलर पकड़ लिया। हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की और इस प्रकार उसकी जान लेने का प्रयास किया, फिर भी शिकायतकर्ता को लगी चोटों की प्रकृति से, चिकित्सा अधिकारी महोदय के अन्वेषण में जो पाई गई हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि तीन खरोंचें हैं; एक नाक पर, दूसरी गर्दन के दाहिनी ओर और तीसरी छाती के बाईं ओर। चोटों को मामूली बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस प्रकार, चोटों की प्रकृति और इस तथ्य के कारण कि किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस स्तर पर यह निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि विचारण के अंत में भा.द.सं. की धारा 307 के तहत अपराध गठित होगा या नहीं।

12. इस स्तर पर यह बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि आवेदक ने भी शिकायत दर्ज कराई है और उसे चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया था। केस डायरी में बिलासपुर जिला अस्पताल द्वारा आवेदक के परीक्षण की चिकित्सा प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें उसके दाहिने हाथ पर कटा हुआ घाव और दाहिनी बांह पर खरोंच पाई गई है। यह भी पाया गया कि मरीज पेट में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ और उल्टी की शिकायत कर रहा है। हालांकि, पेट पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई और उसे छत्तीसगढ़ आयुर्वेद संस्थान, बिलासपुर (संक्षेप

में सिम्स) रेफर कर दिया गया। आवेदक के अनुसार, उसे सिम्स में भर्ती कराया गया और उसके बाद अपोलो अस्पताल, बिलासपुर रेफर कर दिया गया और वहां से वह आगे की अन्वेषण के लिए सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली गया।

13. अभियोजन पक्ष ने आवेदक के किसी भी पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं किया है, जिसमें समान प्रकृति या किसी अन्य प्रकार की आपराधिक गतिविधि में उसकी संलिप्तता का जिक्र हो। यह तर्क भी नहीं दिया गया है कि अग्रिम जमानत मिलने पर आवेदक भाग जाएगा और पूछताछ या विचारण के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

14. भा.द.सं. की धारा 307 के तहत अपराध को छोड़कर, जिसके लिए आरोप है कि आवेदक ने उसकी गर्दन दबाई, आवेदक के खिलाफ लगाए गए अन्य सभी अपराधों की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है, जिसमें अभिरक्षा में रखा जाना अनिवार्य नहीं है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि शिकायतकर्ता की गर्दन के केवल एक तरफ मामूली चोट पाई गई थी, जबकि आमतौर पर जब दोनों हाथों से गला घोंटने का प्रयास किया जाता है, तो चोटें गर्दन के दोनों तरफ पाई जाती हैं और जैसा कि इस आदेश में पहले ही उल्लेख किया गया है, इस स्तर पर यह निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि विचारण के अंत में भा.द.सं. की धारा 307 के तहत अपराध गठित होगा या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि यदि कार्यालय समय के दौरान किसी अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में अग्रिम जमानत दी जाती है, तो इससे ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, साथ ही, अपराध की प्रकृति और अन्य सुसंगत कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है ताकि किसी ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो कि कुख्यात अपराधी नहीं है, और सामाजिक हित के बीच संतुलन बना रहे। वर्तमान मामले में, दोनों पक्षों द्वारा आरोप लगाए

गए हैं, उन्होंने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है और दोनों को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया है, जिसमें दोनों व्यक्तियों के शरीर पर चोटें पाई गई हैं। इसके अलावा, यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक पिछले लगभग 2 वर्षों से अपने कॉलोनाइजर लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। सामान्य मानवीय व्यवहार के अनुसार, यह अचानक उत्तेजना या झुंझलाहट का मामला हो सकता है जिसके कारण हाथापाई हुई और परिणामस्वरूप अधिकारी के साथ मारपीट हुई।

16. सवाल यह है कि क्या पूछताछ के लिए आवेदक की गिरफ्तारी आवश्यक है और यदि उससे पूछताछ नहीं की जाती है, तो अंततः अभियोजन पक्ष का मामला विफल हो जाएगा जिससे अभियुक्त को लाभ होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस पहलू पर विचार करते हुए यह देखा जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने नगर निगम कार्यालय से संबंधित गवाहों के बयान दर्ज करके अन्वेषण पूरी कर ली है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक ने घटना के समय किसी हथियार का इस्तेमाल किया हो या वह अपने साथ कुछ फाइलें ले गया हो जिन्हें विचारण के दौरान उसके खिलाफ आरोप साबित करने के लिए बरामद करना आवश्यक हो। आरोपों की प्रकृति से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आवेदक से कोई बरामदगी आवश्यक नहीं है। लेकिन साथ ही, अभियोजन पक्ष को निश्चित रूप से आवेदक से पूछताछ करनी होगी, क्योंकि वह एक अपराधी है जिस पर संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

18.सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए और इसे उन असाधारण मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिए जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आरोपी को गिरफ्तार करना अनिवार्य है।

19. इस न्यायालय ने इस आदेश के पूर्ववर्ती कंडिकाओं में पहले ही चर्चा की है कि अभियोजन के लिए आवेदक को उससे कोई भी बरामदगी करने हेतु गिरफ्तार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

20. ऊपर बताए गए सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक कोई कुख्यात अपराधी नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उसके पिछले आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई सबूत पेश नहीं किया है और साथ ही उसे उसी घटना में चोटें भी आई हैं, तथा उसके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक है।

21. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि यदि आवेदक एक सप्ताह के भीतर संबंधित पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और 1 लाख रुपये की राशि का निजी बंधपत्र तथा 1 लाख रुपये के 2 स्थानीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करता है तथा पूछताछ के लिए उपस्थित होता है, तो उसे निम्नलिखित शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

a. वह आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

b. वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोक जा सके।

c. वह निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना छत्तीसगढ़ राज्य नहीं छोड़ेगा।

22. चूंकि अभियोगपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा और नियमित जमानत प्राप्त

करने के बाद विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होना होगा तथा गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक के विरुद्ध गवाहों को प्रभावित करने या विचारण में सहयोग न करने की कोई शिकायत की जाती है, तो शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर जमानत की यह सुविधा निरस्त की जा सकती है।

सही/-
पी. के. मिश्रा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By …Niraj Baghel, Advocate